

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: लेखा-12(प्रोग्राम)/आं.जां./2024/

दिनांक:

--:आन्तरिक अंकेक्षण संशोधन कार्यक्रम आदेश:-

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक लेखा-12 (प्रोग्राम) आ. जॉच कार्यक्रम/2024-25/7952 दिनांक 22.03.2024 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है।

दल सं०	कार्यक्रम में गठित जॉच दल	कार्यालय जिसका अंकेक्षण किया जाना है।	आदेशित अंकेक्षण लेखावधि	पूर्व में निर्धारित अंकेक्षण तिथि	अंकेक्षण हेतु संशोधित तिथि
12.	श्री गोविन्द शर्मा AAO-I श्री धर्मेन्द्र केवलरामानी AAO-II जोन-अजमेर	बीसीएमओ, डीडवाना	04/21 से 03/24	02.04.24 से 16.04.24	02.04.24 से 24.04.24
13	श्री शिव कुमार AAO-I श्री मदन लाल AAO-II जोन-अजमेर	बीसीएमओ, कुचामनसिटी	04/21 से 03/24	02.04.24 से 16.04.24	02.04.24 से 22.04.24

Sd

वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

दिनांक: 23/4/24

क्रमांक: लेखा-12(प्रोग्राम)/आं.जां./2023/13633

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-अजमेर।
2. श्री गोविन्द शर्मा AAO-I एवं श्री धर्मेन्द्र केवलरामानी, AAO-II जोन-अजमेर को पालनार्थ।
3. श्री शिव कुमार AAO-I एवं श्री मदन लाल, AAO-II जोन-अजमेर को पालनार्थ।
4. प्रभारी सर्वर रूम को दी जाकर लेख है कि इस आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करे।

4

वरिष्ठ लेखाधिकारी
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर